[2011] 6 एस.सी.आर. 57

जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य

बनाम

अजय डोगरा

(सिविल अपील सं. 3066/2011)

07 अप्रैल, 2011

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा एवं
अनिल आर. दवे, न्यायमूर्ति]

सेवा विधि - भर्ती - जम्मू एवं कश्मीर पुलिस नियम, 1960 - नियम 176 - जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में अभियोजन अधिकारियों की प्रत्यक्ष भर्ती - विज्ञापन जारी किया गया - आवश्यक उपयुक्तता की शर्तें निर्धारित की गईं - ऐसी ही एक शर्त आयु/शारीरिक योग्यताओं से संबंधित थी, जिन्हें आवेदकों द्वारा धारित किया जाना आवश्यक था - जम्मू एवं कश्मीर पुलिस नियमों के नियम 176 को उक्त विज्ञापन पर लागू बताया गया - प्रत्यर्थी-आवेदकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया कि वे आवश्यक शारीरिक योग्यताओं से युक्त नहीं थे - उन्होंने रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें विज्ञापन तथा पुलिस नियमों के नियम 176 में निर्धारित न्यूनतम शारीरिक मानकों/योग्यता में शिथिलीकरण की मांग की - उच्च न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन अधिकारियों को शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक क्षमता प्रदर्शित करनी होती है तथा प्रत्यर्थियों की अभ्यर्थिता केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि वे शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं करते - परिणामस्वरूप, उसने निर्देश दिया कि सभी प्रत्यर्थियों के मामलों पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाए - अपील पर, निर्णय: प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में एकमात्र प्रार्थना यह थी कि निर्धारित शारीरिक मानदंडों एवं शर्तों में शिथिलीकरण प्रदान किया जाए - रिट याचिकाओं में न तो शारीरिक शर्तों से संबंधित नियम 176 की वैधता को चुनौती दी गई थी और न ही विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को उनकी वैधता के आधार पर चुनौती दी गई थी - उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि निर्धारित शारीरिक शर्तें दोषपूर्ण एवं मनमानी हैं, याचिका के कथनों (pleadings) से परे जाकर निर्णय दिया - बिना किसी चुनौती के उक्त नियम तथा विज्ञापन की वैधता का निर्णय करना न्यायालय के लिए उचित नहीं था - उच्च न्यायालय द्वारा उन शारीरिक शर्तों को निरस्त करना उचित नहीं था, जो अनिवार्य प्रकृति की थीं - कथन।

अपीलकर्ताओं ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में अभियोजन अधिकारियों के पद पर प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। उक्त विज्ञापन में विभिन्न मानदंडों को आवश्यक उपयुक्तता की शर्तों के रूप में निर्धारित किया गया था। ऐसी ही एक शर्त आवेदकों द्वारा धारित की जाने वाली आयु/शारीरिक योग्यताओं से संबंधित थी। उक्त विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि चयन के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप हों, जो कि ऊँचाई तथा छाती से संबंधित हैं। आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस नियम, 1960 का नियम 176 उक्त विज्ञापन पर लागू होगा।

प्रत्यर्थियों ने उपर्युक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपने आवेदन प्रस्तुत किए। तथापि, चयन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि प्रत्यर्थियों में से किसी के पास भी आवश्यक शारीरिक योग्यताएँ नहीं थीं, क्योंकि वे सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक मानकों को, चाहे वह ऊँचाई के संबंध में हो अथवा छाती के संबंध में, पूरा नहीं करते थे, और इस प्रकार उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रत्यर्थियों ने रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें विज्ञापन तथा पुलिस नियमों के नियम 176 में निर्धारित न्यूनतम शारीरिक मानकों/योग्यता में शिथिलीकरण प्रदान करने की मांग की गई।

उच्च न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होना होता है और इसलिए ऐसे अधिकारियों को शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करना आवश्यक होगा, तथा यह भी कि प्रत्यर्थियों की अभ्यर्थिता केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि उन्होंने शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं किया, क्योंकि शारीरिक मानकों का निर्धारण ऐसा मानदंड नहीं कहा जा सकता जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध न हो। फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सभी प्रत्यर्थियों के मामलों पर, विज्ञापित पदों के विरुद्ध, जिनके लिए उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किए थे, उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाए। अतः वर्तमान अपीलें दायर की गईं।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1. प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के अवलोकन से यह सिद्ध एवं स्थापित होता है कि उन रिट याचिकाओं में की गई एकमात्र प्रार्थना यह थी कि निर्धारित एवं पूर्ण किए जाने हेतु अपेक्षित शारीरिक शर्तों के मानदंड एवं स्तर में शिथिलीकरण प्रदान किया जाए। उपर्युक्त रिट याचिकाओं में न तो जम्मू एवं कश्मीर पुलिस नियम, 1960 के

नियम 176 की, जो शारीरिक शर्तों से संबंधित है, वैधता को चुनौती दी गई थी और न ही विज्ञापन में निर्धारित ऐसी शर्तों को उनकी वैधता के आधार पर इस कथन के साथ चुनौती दी गई थी कि उक्त शर्तों का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। विज्ञापन में निर्धारित शारीरिक शर्तें पुलिस नियमों के नियम 176 के अनुरूप हैं, जो कि सांविधिक नियम हैं। कथनों (प्लीडिंग्स) में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी निर्धारित शर्तें अवैध या अमान्य हैं। उक्त नियम की संवैधानिक वैधता को किसी भी रिट याचिका में कभी चुनौती नहीं दी गई। तथापि, उच्च न्यायालय ने, इस संबंध में किसी भी कथन के अभाव में, कथनों (प्लीडिंग्स) से परे जाकर यह निर्णय दिया कि निर्धारित शारीरिक शर्तें दोषपूर्ण एवं मनमानी हैं, क्योंकि जो निर्धारित किया गया है उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। [अनुच्छेद 14, 15] (64-H; 65-A-D)

1.2. पुलिस नियमों के नियम 176 की संवैधानिक वैधता को, जहाँ तक वह ऊँचाई तथा छाती से संबंधित शारीरिक शर्तों के निर्धारण से संबंधित है, कोई चुनौती नहीं दी गई थी। विज्ञापन में शारीरिक मानकों से संबंधित प्रावधानों को भी रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसी किसी चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मानदंड की वैधता की जांच करना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने न्यूनतम ऊँचाई एवं छाती के मानक निर्धारित करने वाले नियम को विशेष रूप से अल्ट्रा वायर्स घोषित भी नहीं किया था और, अतः जब तक वह नियम विधि-पुस्तक में विद्यमान है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते थे। फलस्वरूप, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश निरस्त किए जाने योग्य हैं। अतः, उक्त नियम तथा विज्ञापन की वैधता का निर्णय, बिना किसी चुनौती के, उच्च न्यायालय द्वारा करना न्यायोचित नहीं था। साथ ही, उन शर्तों को, जो स्वभावतः अनिवार्य थीं, निरस्त करना भी उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं था। [अनुच्छेद 22, 23] [68-E-H; 69-A]

वी.के. माजोत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2003) 8 एससीसी 40 : 2003 (3) परिशिष्ट एससीआर 483;** सचिव, सरकार एवं अन्य बनाम एम. सेंथिल कुमार **(2005) 3 एससीसी 451 : 2005 (2) एससीआर 436;** महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम जळगांव नगर परिषद एवं अन्य **(2003) 9 एससीसी 731 : 2003 (1) एससीआर 1112;** संजय कुमार एवं अन्य बनाम नरेंद्र वर्मा एवं अन्य **(2006) 6 एससीसी 467 : 2006 (2) परिशिष्ट एससीआर 59 - पर निर्भर किया गया।**

उद्धृत निर्णयजन्य विधि:

2003 (3) परिशिष्ट एससीआर 483	**पर निर्भर किया गया,**	**अनुच्छेद 16**
2005 (2) एससीआर 436	**पर निर्भर किया गया,**	**अनुच्छेद 17**
2003 (1) एससीआर 1112	**पर निर्भर किया गया,**	**अनुच्छेद 18**
2006 (2) परिशिष्ट एससीआर 59	**पर निर्भर किया गया,**	**अनुच्छेद 19**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3066/2011।

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा दिनांक 19.08.2002 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध, एल.पी.ए. (एस.डब्ल्यू.) सं. 184/2002, ओ.डब्ल्यू.पी. सं. 533/2000 में।

सहित

सिविल अपील संख्याएँ 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3083, 3084, 3085, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092 एवं 3093/2011।

गौरव पचनंदा, अपर महाधिवक्ता, सुनील फर्नांडीस, रेनू गुप्ता अपीलकर्ताओं की ओर से।

मोहित चौधरी, पूजा शर्मा, निकिता काबरे, एन.एम. पॉपली, के.बी. हीना, अनिंदिता पॉपली, बी. सुनीता राव, इंद्रा मकवाना, दिनेश कुमार गर्ग, बी.एस. बिल्लोवरिया, त्रिपुराई राय, विश्व पाल सिंह, सूर्यकांत प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा प्रदान किया गया

डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्ति 1. चूँकि इन सभी अपीलों में तथ्य तथा विधि, दोनों के संबंध में समान प्रश्न सम्मिलित हैं, अतः हमने इन सभी अपीलों को एक साथ सुना है। हम यह भी प्रस्तावित करते हैं कि इन सभी याचिकाओं का निस्तारण इस सामान्य निर्णय एवं आदेश द्वारा किया जाए, क्योंकि हमारे समक्ष प्रस्तुत मुद्दे समान हैं।

2. विलंब क्षम्य किया गया।

3. अनुमति प्रदान की गई।

4. यहाँ के अपीलकर्ताओं ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में अभियोजन अधिकारियों के पद पर प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। ऐसे कुल दो विज्ञापन/सूचनाएँ थीं, जिनमें से एक 24.03.2000 को

जारी किया गया था और दूसरा 05.03.2003 दिनांकित था। उक्त विज्ञापनों/सूचनाओं में विभिन्न मानदंडों को आवश्यक उपयुक्तता की शर्तों के रूप में निर्धारित किया गया था। ऐसी ही एक शर्त आवेदकों द्वारा धारित की जाने वाली आयु/शारीरिक योग्यताओं से संबंधित थी। उक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि चयन हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शारीरिक मानकों के अनुरूप हों:-

"(i) ऊँचाई - 5 फुट 6 इंच

(ii) छाती

अविस्तारित 32 1/2 इंच,

विस्तारित 33 1/2 इंच"

5. उक्त विज्ञापन/सूचनाओं में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस नियम, 1960 का नियम 176 (जिसे आगे "पुलिस नियम" कहा जाएगा) उक्त विज्ञापन पर लागू होगा। उक्त विज्ञापन/सूचनाओं में अन्य मानदंडों के साथ-साथ आवेदकों द्वारा धारित की जाने वाली आयु/शारीरिक योग्यताएँ भी निर्धारित की गई थीं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि आवेदकों के पास कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ भी होनी चाहिए, जैसे (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री तथा (ii) अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 2 वर्षों का वास्तविक अनुभव।

6. चूँकि उपर्युक्त विज्ञापन में उक्त नियम का उल्लेख किया गया है तथा यह विशेष रूप से कहा गया है कि उक्त नियम विज्ञापन पर लागू होगा, अतः इस चरण पर उक्त नियम के प्रासंगिक भाग का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

7. उक्त पुलिस नियमों का नियम 176, अन्य बातों के साथ-साथ, निरीक्षक, उप-निरीक्षक या सहायक उप-निरीक्षक के रूप में प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए आवश्यक शारीरिक एवं शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण करता है। यह इस प्रकार है:-

"176. निरीक्षक, उप-निरीक्षक या सहायक उप-निरीक्षक के रूप में प्रत्यक्ष नियुक्ति हेतु योग्यता"

(1) ******* ******** ******** ********

(2) ******* ******** ******** ********

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन चयन हेतु विचार किए जाएंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शारीरिक मानकों के अनुरूप हों:

(i) ऊँचाई - 5 फुट 6 इंच

(ii) छाती

अविस्तारित 32 1/2 इंच

विस्तारित 33 1/2 इंच"

8. यहाँ के प्रत्यर्थियों ने उपर्युक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपने आवेदन प्रस्तुत किए। तथापि, चयन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि प्रत्यर्थियों में से किसी के पास भी आवश्यक शारीरिक योग्यताएँ नहीं हैं, क्योंकि वे सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक मानकों को, चाहे वह ऊँचाई के संबंध में हो अथवा छाती के संबंध में, पूरा नहीं करते हैं। चूँकि प्रत्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित शारीरिक योग्यताओं के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, अतः उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें विज्ञापन तथा पुलिस नियमों के नियम 176 में निर्धारित न्यूनतम शारीरिक मानकों/योग्यता में शिथिलीकरण प्रदान करने की मांग की गई।

9. प्रत्यर्थियों द्वारा दायर उपर्युक्त रिट याचिकाओं की सुनवाई जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई। माननीय एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। संबंधित तर्कों के अवलोकन पर उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थियों में केवल शारीरिक योग्यता के मानकों की ही कमी है, इस अर्थ में कि या तो वे छाती की न्यूनतम माप के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं अथवा उनके पास निर्धारित एवं विज्ञापित ऊँचाई नहीं है। यह भी अवलोकित किया गया कि अभियोजन अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होना होता है और इसलिए ऐसे अधिकारी को शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करना आवश्यक होगा, अतः शारीरिक योग्यताएँ ऐसे अभ्यर्थियों के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि न तो ऊँचाई और न ही छाती या छाती का विस्तार, जो कि शारीरिक योग्यताएँ हैं, प्रत्यर्थियों के आवेदनों को अस्वीकार करने का आधार हो सकते हैं। यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थियों की अभ्यर्थिता केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि वे शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं करते, क्योंकि शारीरिक मानकों का निर्धारण ऐसा मानदंड नहीं कहा जा सकता जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध न हो। फलस्वरूप, यह निर्देश दिया गया कि सभी प्रत्यर्थियों के मामलों पर, विज्ञापित पदों के विरुद्ध, जिनके लिए उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किए थे, उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाए।

10. माननीय एकल न्यायाधीश द्‌वारा पारित उपर्युक्त आदेशों से आक्रोशित होकर अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपीलें प्रस्तुत कीं। उक्त अपीलों को लेटर्स पेटेंट अपील के रूप में पंजीकृत किया गया।

11. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिमत व्यक्त किया कि एकल न्यायाधीश द्‌वारा यह निष्कर्ष निकालने में कोई त्रुटि नहीं की गई कि छाती की चौड़ाई अथवा ऊँचाई के संबंध में शारीरिक योग्यता का निर्धारण उद्‌देश्य से कोई संबंध नहीं रखता है और अतः हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

12. उपर्युक्त पारित निर्णयों एवं आदेशों से आक्रोशित होकर वर्तमान अपीलें दायर की गईं, जिन पर हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना, जिन्होंने हमें विज्ञापन, पुलिस नियमों के नियम 176, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तथा तर्क-वितर्क के दौरान उद्‌धृत विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से अवगत कराया।

13. उपर्युक्त के आलोक में, हम अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए इन सभी अपीलों का निस्तारण करने का प्रस्ताव करते हैं।

14. रिट याचिकाओं के अवलोकन से यह सिद्‌ध एवं स्थापित होता है कि उन रिट याचिकाओं में की गई एकमात्र प्रार्थना यह थी कि निर्धारित एवं पूर्ण किए जाने हेतु अपेक्षित शारीरिक शर्तों के मानदंड एवं स्तर में शिथिलीकरण प्रदान किया जाए। उपर्युक्त रिट याचिकाओं में न तो शारीरिक शर्तों से संबंधित नियम 176 की वैधता को चुनौती दी गई थी और न ही विज्ञापन में निर्धारित ऐसी शर्तों को उनकी वैधता के आधार पर इस कथन के साथ चुनौती दी गई थी कि उक्त शर्तों का प्राप्त किए जाने वाले उद्‌देश्य से कोई संबंध नहीं है। हम पाते हैं कि विज्ञापन में निर्धारित शारीरिक शर्तें पुलिस नियमों के नियम 176 के अनुरूप हैं, जो कि सांविधिक नियम हैं। कथनों (प्लीडिंग्स) में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी निर्धारित शर्तें अवैध या अमान्य हैं। उक्त नियम की संवैधानिक वैधता को किसी भी रिट याचिका में कभी चुनौती नहीं दी गई।

15. तथापि, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में किसी भी कथन के अभाव में, कथनों (प्लीडिंग्स) से परे जाकर यह निर्णय दिया कि निर्धारित शारीरिक शर्तें दोषपूर्ण एवं मनमानी हैं, क्योंकि जो निर्धारित किया गया है उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्‌देश्य से कोई संबंध नहीं है।

16. उच्च न्यायालय द्‌वारा दिया गया उपर्युक्त निर्णय इस न्यायालय द्‌वारा *वी.के. माजोत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य*, (2003) 8 एससीसी 40 में प्रतिपादित विधि के विपरीत तथा असंगत है। उक्त निर्णय में भी जो प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, वह

न तो कथनों (प्लीडिंग्स) में उठाया गया था और न ही रिट याचिका के किसी भी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त मामले में यह प्रश्न था कि क्या न्यायिक अनुभव न रखने वाले व्यक्ति को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस न्यायालय ने पाया कि उक्त प्रश्न रिट याचिका में उठाया ही नहीं गया था और इसी प्रकार संबंधित धारा की वैधता को भी चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त संदर्भ में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से कहा:-

> "8. .... यह भी सही है कि अधिनियम की धारा 6(2)(b), (bb) तथा (c) की वैधता को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिए जाने का प्रभाव कि भविष्य में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति केवल वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा ऐसे अधिवक्ता में से की जाए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो, यह होगा कि अधिनियम की धारा 6(2)(b), (bb) तथा (c), जो प्रशासनिक सेवाओं से उपाध्यक्ष के पद पर भर्ती का प्रावधान करती हैं, बिना उन्हें निरस्त किए ही विधि-पुस्तक से निष्प्रभावी/अप्रभावी कर दी गई हैं, क्योंकि अब उपर्युक्त धाराओं (b), (bb) तथा (c) में वर्णित श्रेणियों में से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। जब तक धारा 6(2)(b), (bb) तथा (c) विधि-पुस्तक में विद्यमान हैं, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था .... "

उक्त निर्णय के अनुच्छेद 9 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में मुद्दों पर विचार किया है:-

> "9. हम अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस दलील से भी सहमत हैं कि उच्च न्यायालय ने भारत संघ के विधि विभाग के सचिव, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के सचिव, भारत संघ के कैबिनेट सचिव तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ-साथ सीएटी के अध्यक्ष एवं अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों को यह निर्देश देते हुए कि भविष्य में विभिन्न अन्य अधिकरणों, जैसे कि सीईजीएटी, राजस्व बोर्ड, आयकर अपीलीय अधिकरण आदि के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति केवल न्यायिक सदस्यों में से ही की जाए, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। ऐसा निष्कर्ष उपयुक्त कथनों (प्लीडिंग्स) के बिना तथा संबंधित एवं प्रभावित पक्षकारों को सूचित किए बिना अभिलिखित नहीं किया जा सकता था।"

17. इसी प्रकार, सचिव, सरकार एवं अन्य बनाम एम. सेंथिल कुमार, (2005) 3 एससीसी 451 के मामले में, इस न्यायालय ने इस संदर्भ में कि पुलिस एवं समरूप बलों के सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक कर्मियों के बच्चों/आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत विशेष कोटा प्रदान

करने वाली नीति की संवैधानिक वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, यह अभिमत व्यक्त किया कि चूँकि उक्त दो सरकारी आदेशों में निहित नीति निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, अतः उच्च न्यायालय द्वारा उस नीति निर्णय को चुनौती को स्वीकार करना और उसे असंवैधानिक ठहराना उचित नहीं था, विशेषकर इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि आवेदक उसी नीति निर्णय के अंतर्गत राहत की मांग कर रहे थे।

18. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम जळगांव नगर परिषद एवं अन्य, (2003) 9 एससीसी 731 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि किसी चुनौती के अभाव में संशोधन की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की जा सकती।

19. हम इस न्यायालय के संजय कुमार एवं अन्य बनाम नरेंद्र वर्मा एवं अन्य, (2006) 6 एससीसी 467 के निर्णय का भी उपयुक्त रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें भी इस न्यायालय के समक्ष यह प्रतिपादित किया गया था कि संबंधित नियमों को कोई चुनौती दिए बिना उच्च न्यायालय के लिए उन भर्ती नियमों से विचलित होना अनुमेय नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह भर्ती नियमों की उपेक्षा करे और ऐसा मानदंड लागू करे, जिसका प्रावधान लागू नियमों में किया ही नहीं गया है।

इस न्यायालय ने उपर्युक्त प्रतिपादनों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 16 में इस प्रकार कहा:-

> "16. दोनों पक्षों के विभिन्न विवादित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत, हम इस मत पर हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। जैसा कि पूर्व में अवलोकित किया गया है, रिट याचिका में नियमों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अतः माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा नियमों को लागू करना तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया को यथावत रखना उचित था। खंडपीठ द्वारा चयन प्रक्रिया में ऐसे मानदंड के आधार पर हस्तक्षेप करना, जो नियमों में निर्धारित ही नहीं थे, और वह भी नियमों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के आधार पर, पूर्णतः अनुचित था। उच्च न्यायालय यह देखने में असफल रहा कि नियमों में न्यूनतम योग्यता के उद्देश्य से भर्ती के चरण पर डिग्रीधारकों और डिप्लोमाधारकों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। अन्य शब्दों में, भर्ती के चरण पर इन दोनों श्रेणियों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था, बल्कि भर्ती के पश्चात् अवधि में डिग्रीधारकों को अधिक प्रारंभिक वेतन तथा उच्च पद पर पदोन्नति हेतु कम सेवा अवधि की शर्त के रूप में अधिक महत्व दिया गया था। हम अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस दलील से सहमत हैं कि दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों

के बीच पर्याप्त अंतर्निहित संतुलन बनाए रखा गया था और उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय नियमों के इस संतुलन को पूर्णतः विचलित कर देता है। कार्यपालिका ने जो कार्य नियमों में प्रावधान करके उचित नहीं समझा, उसे न्यायिक आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता था।"

21. आवेदकों द्वारा धारित की जाने वाली योग्यताएँ नियमों में तथा विज्ञापन में इस कारण से निर्धारित की गई हैं कि उनमें से कुछ को उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाना आवश्यक होता है और इसलिए उनके पास उचित शारीरिक गठन होना आवश्यक है, ताकि वे उन स्थानों पर पदस्थापित किए जा सकें।

22. हमारे विचार में, इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है। पुलिस नियमों के नियम 176 की संवैधानिक वैधता को, जहाँ तक वह ऊँचाई तथा छाती से संबंधित शारीरिक शर्तों के निर्धारण से संबंधित है, कोई चुनौती नहीं दी गई थी। विज्ञापन में शारीरिक मानकों से संबंधित प्रावधानों को भी रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसी किसी चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मानदंड की वैधता की जांच करना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने न्यूनतम ऊँचाई एवं छाती के मानक निर्धारित करने वाले नियम को विशेष रूप से अल्ट्रा वायर्स घोषित भी नहीं किया था और, अतः जब तक वह नियम विधि-पुस्तक में विद्यमान है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते थे। फलस्वरूप, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

23. अतः, हम यह अभिमत व्यक्त करते हैं कि उक्त नियम तथा विज्ञापन की वैधता का निर्णय, बिना किसी चुनौती के, उच्च न्यायालय द्वारा करना न्यायोचित नहीं था। हम यह भी अभिमत व्यक्त करते हैं कि उन शर्तों को, जो स्वभावतः अनिवार्य हैं, निरस्त करना उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं था।

24. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के सिद्धांतों के आलोक में, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा खंडपीठ एवं एकल न्यायाधीश, दोनों द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों को निरस्त करते हुए रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं।

बी.बी.बी. अपीलें स्वीकृत।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|